



# HAPUR POLICE



## प्रेस नोट

थाना- हाफिजपुर

दिनांक:- 23-04-2026

"~ संगठित गैंगस्टर अपराध के विरुद्ध हापुड़ पुलिस की कार्यवाही ~"

- थाना हाफिजपुर पुलिस द्वारा धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत एक शातिर अपराधी द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी चल सम्पत्ति एक कार (वर्तमान कीमत करीब 5,09,600 रुपए) को कुर्क किया गया।
- अभियुक्त रोहताश शातिर किस्म का अपराधी है जिसके द्वारा अपने आर्थिक एवं भौतिक लाभ हेतु हत्या कर धोखाधड़ी से धन अर्जित कर एक वैगनआर कार खरीदी गई थी, जिसकी जब्तीकरण की कार्यवाही की गई है।

### कार्यवाही:-

हापुड पुलिस द्वारा जनपद में शातिर अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना हाफिजपुर पुलिस द्वारा थाना कपूरपुर के मु0अ0सं0 214/2025 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त रोहताश द्वारा अवैध रूप से चल सम्पत्ति एक कार अर्जित की गई थी, जिसको धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट हापुड़ के आदेश के अनुपालन में कुर्क किया गया।

### अभियुक्त का नाम व पता:-

रोहताश पुत्र हरी सिंह निवासी ग्राम पारपा थाना कपूरपुर जनपद हापुड।

### अभियुक्त विजय शर्मा का अपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 13/2025 धारा 140(1), 103, 238, 3(5) बीएनएस थाना कपूरपुर जनपद हापुड।
2. मु0अ0सं0 214/2025 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना कपूरपुर जनपद हापुड।

### जब्त/कुर्क की गई चल सम्पत्ति का विवरण-

एक वैगनआर कार रजि0 नं0 UP 37 X 0319 (वर्तमान कीमत करीब 5,09,600/- रुपए)।

### कुर्क करने वाली पुलिस टीम-

1. थाना प्रभारी श्री प्रवीन कुमार थाना हाफिजपुर जनपद हापुड।
2. उ0नि0 श्री अखलेश कुमार थाना हाफिजपुर जनपद हापुड।
3. है0का0 820 मोहित कुमार थाना हाफिजपुर जनपद हापुड।
4. का0 106 विक्रान्त थाना हाफिजपुर जनपद हापुड।

